

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड, जयपुर

ई मेल:-mrh.sap@gmail.com

दिनांक 03.03.2017

क्रमांक 1970

खुली निविदा सूचना

राज्यपाल महोदय की ओर से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासित बालक-बालिकाओं के लिये निम्न सेवा के लिये मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र. सं.	NIT सं.	सेवा का विवरण	अवधि	अनुमानि त लागत	ब्याना राशि	निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अन्तिम तिथि	भरे हुए निविदा प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
2 /2016-17	आवासी बालक/बालिकाओं के उपयोग में आने वाले वस्त्र धुलाई मय समस्त सामग्री सहित।	एक वर्ष	800000	16000	20.03.2017 5 PM	21.03.2017 12 PM	21.03.2017 2 PM

निविदा प्रपत्र 200/- नकद जमा करा कर कार्यालय समय में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 20.03.17 को 5 PM तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट sppp. rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाइट sje. rajasthan.gov.in पर एवं कार्यालय समय में कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट:- 1. एक बार जमा कराया गया निविदा शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।

2. निविदा प्रपत्र वेबसाइट sppp .rajasthan.gov..in एवं विभागीय वेबसाइट sje. rajasthan.gov..in से डाउन लोड किया जा सकता है।
3. निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउन लोड करने पर निविदा प्रपत्र का भुगतान निविदाये जमा कराते समय साथ में दिया जावें अन्यथा निविदा फार्म रद्द कर दिया जायेगा।

४७०

अधीक्षक

क्रमांक 1971-78

प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 03.03.2017

1. श्रीमान निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को 5 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि निविदा को एक राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्र जिसका प्रसारण 50,000 प्रतियां या अधिक हो एवं एक क्षैत्रीय समाचार पत्र में नियमानुसार तत्काल प्रकाशित करावें।
2. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर।
4. श्रीमान लेखाधिकारी निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर को भेज कर निवेदन है कि राज्य उपापन पोर्टल sppp. rajasthan.gov.in पर अप लोड करवाने का श्रम करें।
5. श्रीमान उपनिदेशक (जयपुर शहर), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पटेल मार्ग, मानसरोवर जयपुर, राजस्थान।
6. नोटिस बोर्ड
7. कार्यालय नोटिस बोर्ड
- ✓ 8. ACP सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेज कर लेख है कि विभागीय वेबसाइट sje. rajasthan.gov.in पर अप लोड करवाने का श्रम करें।


अधीक्षक

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड, जयपुर
निविदा फार्म (बोली डाटा शीट) ई मेल:-mrh.sap@gmail.com

निविदा फार्म

- विषय :- आवासियों के वस्त्र धुलाई एवं प्रेस के कार्य के लिये निविदा।
- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/संस्था का नाम तथा डाक का पूरा पता
- निविदादाता का मोबाइल नं.....
- संदर्भ निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 8/2017-18
- निविदा शुल्क की राशि 200 रु अक्षरे दो सौ मात्र नकद (रसीद संख्या)/डीडी/बैंकस चैक नंबर. दिनांकके द्वारा जमा करा दी गई है।
- निविदा सूचना, संख्या 8/2017-18 दिनांक 03.03.2017 जोकि अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जयपुर के द्वारा जारी की गई है में वर्णित समस्त शर्तों की पालना करने के लिए हम सहमत हैं तथा उक्त निविदा दस्तावेज में वर्णित समस्त शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
- वस्त्र धुलाई कार्य का जो ठेके पर दिया जाना है उसे हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, ओर उसी आधार पर दरें दी जा रही है।
- कार्य आदेश प्राप्त होने के 7 दिन की अवधि में कार्य करना शुरू कर दिया जायेगा।
- वस्त्र धुलाई ठेका देने बाबत हमारी दर निम्न प्रकार है :-

क्रस.	कार्य का विवरण	मासिक दर	थविं
1	लगभग 225 विमंदित महिला एवं बालकों के दैनिक उपयोग में आने वाले वस्त्र यथा नेकर, पेन्ट, महिलाओं के वस्त्र, दरी, खेस, कम्बल, चादर एवं तौलिये, स्वेटर, चटाई एवं गदृदे की प्रति दिन धुलाई एवं प्रेस मय सामग्री व आवश्यकतानुसार कम्बल छाईकलीन का कार्य।	(मय समस्त करों एवं आनुषंगिक प्रभारों के विवरण सहित) रूपये:- अक्षरे.....	

10. उपरोक्त अंकित दर एक वर्ष तक वैद्य है, आवश्यकता होने पर पारस्परिक सहमति के आधार पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है,
11. बयाना राशि (अर्नेनेस्ट मनी) रुपये.16000/- अक्षरे रुपये.सोलह हजार मात्र के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/डी.डी. संख्या/नकद रसीद संख्या/चालान संख्या..... दिनांक जमा करा दी गई है।
12. सेवा प्रदाय करने हेतु श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्यादिनांक वैद्यता अवधि की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
13. आयकर स्थाई खाता संख्या.....
14. सर्विस टैक्स पंजीयन संख्या दिनांक
15. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करे)
 1.
 2.
 3.
 4.

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड, जयपुर

क्रमांक 1970

ई मेल:—mrh.sap@gmail.com
 दिनांक 03.03.2017

निविदा आमंत्रण सूचना—08 / 2017—18

राज्यपाल महोदय की ओर से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासित विमंदित बालक एवं प्रपत्र एवं शब्दे आदि इस कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर कार्य दिवस में दिनांक 20.03.2017 को सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) के बिना जमा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	निविदा शुल्क	बयाना राशि
1	225 आवासियों के वस्त्र (पहनने, ओढ़ने, बिछाने) दरियां चटाईयां, कम्बल, रजाई, गद्दे आदि की धुलाई एवं प्रेस कार्य समय समस्त सामग्री सहित।	800000	200 रु.	16000 रु

भरी हुई निविदायें दिनांक 21.03.2017 को दोपहर 12.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा करायी जा सकती है। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदायें दिनांक 21.03.2017 को समय 2.00 बजे क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। अपूर्ण एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

अधीक्षक

प्रतिबन्ध एवं शर्तें (वस्त्र धुलाई की निविदा)

टिप्पणी:- निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदाये भेजते समय इन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये ।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहर बन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिये ।
2. व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदाओं पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा । इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा ।
3. निविदादाता को अनुमानित लागत रु 800000/- (अक्षरे आठ लाख मात्र) का 2 प्रतिशत राशि रु. 16000/- (अक्षरे सौलह हजार मात्र) बयाना राशि (अनेस्टमनी) नकद/बैंक ड्रापट/बैंकर्स चैक के द्वारा अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह के नाम निविदा पत्र के साथ जमा करानी होगी । बिना बयाना राशि जमा कराये निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा ।
4. फर्म को किसी छात्रावास/चिकित्सालय/मंदबुद्धि/सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संस्थान में वस्त्र धुलाई कार्य का दो वर्ष के अनुभव का प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी ।
5. फर्म को आयकर स्थायी खाता संख्या (पेन कार्ड, श्रमविभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मय दिनांक, शॉप एक्ट के तहत जारी प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होगी ।
6. फर्म आदि के गठन को किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबंधित फर्म/ संस्था द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा । संविदा के संबंध में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार को रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्त होगी ।
7. निविदादाता द्वारा दरें उचित स्थान पर अंकों एवं शब्दों द्वानों में लिखी जानी चाहिये । निविदा के प्रत्येक पृष्ठ एवं कांट छांट पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है । निविदा प्रपत्र बालपेन या टंकण से भरा जावेगा ।
8. मोहर बंद निविदा प्रपत्र मय बयाना (अर्नेस्टमनी) राशि 16000/- (अक्षरे सौलह हजार मात्र) दिनांक 21.03.2017 को 12:00 बजे दोपहर तक अधीक्षक मानसिक विमंदित एवं बाल पुनर्वास गृह, जामडोली, जयपुर के कार्यालय में रखे हुये टेण्डर बाक्स में पहुंच जानी चाहिये निविदाये दिनांक 21.03.2017 को 2:00 बजे खोली जायेगी ।
9. **विधि मान्यता :** निविदाये उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी ।
10. फर्म/ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नहीं सौंपेगा या उप भाड़े (सबलैट) पर नहीं देगा ।
11. निविदादाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी ।
12. असफल निविदादाताओं को बयाना राशि एक माह में (निविदा स्वीकृत होने की तिथि से) वापस कर दी जायेगी ।
13. **करार एवं प्रतिभूति निष्क्रेप:-**
 - i. सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार 500/-रूपये के स्टाम्प येपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिये निविदाये स्वीकार की गई है । उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी । यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिवस के भीतर जमा करायी जायेगी ।

ii निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि कि लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दिशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

iii प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।

iv प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगे:-

(क) नकद/बैंक ड्रापट /बैंकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगा।

(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या अन्य कोई स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हे गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जावेगा।

V करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुद्ध प्रतिपड़त निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

Vi प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया नहीं है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।

11. बयाना राशि का सम्पहरण बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में सम्पहत कर लिया जायेगा:-

i. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, उसमें रूपान्तरण करता है।

ii. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।

iii. जब निविदादाता ठेके के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता हो।

iv. जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने में असफल रहता हो।

12. प्रतिभूति निष्केप का सम्पहरण: प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में सम्पहत कर लिया जावेगा :-

I जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

ii जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

iii. प्रतिभूति निष्केप को सम्पहत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

13.. ठेकेदार द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने पर उसे 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

14. ठेके की अवधि एक वर्ष तक मान्य होगी। वस्त्र धुलाई एवं प्रेस का कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर ठेका विभाग विकल्प पर अधिकतम 6 माह के लिये उन्हीं दरों पर बढ़ाया जा सकेगा। जिसके लिये संवेदक बाध्य होगा।

15. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रृटि पायी जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार अधीक्षक को होगा।

16. सरकार द्वारा विहित सेवा कर (सर्विस टैक्स) एवं अन्य सभी कर देय होने पर, आदि फर्म द्वारा ही वहन किये जावेगे।

17. भुगतान:-भुगतान अग्रिम नहीं किया जायेगा। जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, कार्य के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

18. यदि निविदादाता ऐसी शर्त आरोपित करता है, जो उसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

19. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन कार्यों के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

20. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-

- i यदि भागीदारी फर्म हो तो भगीदारी विलेख की एक अभिप्रामाणित प्रति।
 - ii यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
 - iii एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता टेलीफोन नंबर।
 - iv कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
21. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी को नियुक्त करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
22. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में जिला न्यायालय में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।
23. संस्था में वरुत्र धुलाई के कार्य हेतु किसी भी दिन अवकाश नहीं रहेगा। धुलाई करने वाले कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं होने चाहिये तथा पूर्ण स्वस्थ हो। धुलाई कर्मचारी प्रातः 9 बजे संस्था में उपस्थित होंगे एवं सांय काल आवासियों के समस्त वस्त्रों की धुलाई एवं प्रेस करने के बाद जायेंगे। आवश्यकता अनुसार कार्य समय में परिवर्तन भी किया जा सकता है।
24. धुलाई हेतु दिये गये वस्त्र डिलीवरी के समय से 24 घन्टे में धोकर, सुखाकर एवं प्रेस कर उपलब्ध करवाने होंगे। निर्धारित समय के विलम्ब पर नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति देय होगी:-
 अ निर्धारित समय से 6 घन्टे तक विलम्ब के लिये उस दिन की देय राशि का 2.5 प्रतिशत
 ब निर्धारित समय से 6 घन्टे से अधिक एवं 12 घन्टे तक विलम्ब के लिये 5 प्रतिशत
 स निर्धारित समय से 12 घन्टे से अधिक व 18 घन्टे तक विलम्ब के लिये 7.5 प्रतिशत
 द निर्धारित समय से 18 घन्टे से अधिक विलम्ब के लिये 10 प्रतिशत
25. वस्त्र धुलाई एवं प्रेस की दरे मय उपयोग में ली जाने वाली धुलाई सामग्री एवं अन्य समस्त करों एवं आनुषंगिक प्रभारों सहित प्रस्तुत की जावेगी।
26. ठेकेदार को वस्त्र धुलाई हेतु महिला एवं पुरुष कर्मचारी रखने होंगे। लगभग 225 आवासियों हेतु वस्त्र धुलाई एवं प्रेस का कार्य करना होगा। आवासियों के मल-मूत्र एवं गंदगी से सने वस्त्रों की भी धुलाई करनी होगी।
27. वस्त्र धुलाई के पश्चात् वस्त्रों को डिटोल के पानी में खंगाल कर सुखाना होगा तथा कपड़ों को तह लगाकर तथा प्रेस योग्य कपड़ों को प्रेस कर आवासियों को पहनने हेतु संबंधित केयर टेकर को संभलावाने होगे।
28. ठेकेदार को वस्त्र धुलाई के लिये निःशुल्क पानी, प्रेस के लिये टेबल, धुलाई एवं प्रेस के लिये टेबल, धुलाई हेतु टीनशैट की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। अन्य समस्त सामग्री के व्यय का भार ठेकेदार को वहन करना होगा। विद्युत उपकरण काम में लेने पर सबमीटर एवं सबमीटर के अनुसार विद्युत खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा।
29. वस्त्र धुलाई की व्यवस्था के लिये अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली, जयपुर द्वारा दिये गये समस्त आदेशों की पालना ठेकेदार को करनी होगी। तथा बिना किसी विवाद के ठेकेदार को कार्य करना होगा।
30. ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी को दैनिक मजदूरी का भुगतान नियमानुसार करना होगा जो न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा। ठेकेदार को अगले माह का भुगतान, गत माह के भुगतान करने की रसीद/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जावेगा। संवेदक को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना का सुनिश्चयन करना होगा। इसके लिये वह व्यक्तिश जिम्मेदार होगा।
31. धुलाई एवं प्रेस संबंधित कार्य करते समय यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उसके लिये मुआवजा आदि देने का भार संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिये किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नहीं होगा।
32. कर्मचारी राज्य बीमा के अन्तर्गत कटौती किया जाना एवं राज्य सरकार द्वारा मान्य न्यूनतम मजदूरी/ पी.एफ. /ई.एस.आई. व अन्य प्रकार की कटौतियों को कर्मचारी पर लागू करना एवं इस प्रकार की राशि को जमा कराने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा तथा संबंधित की कटौती के जमा के चालान की प्रति मार्गें जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।
33. ठेके की अवधि में यदि धुलाई कर्मचारियों द्वारा हड्डताल की जाती है और संस्था इस अवधि में वस्त्र धुलाई कार्य करने में असमर्थ रहती है तो विभाग द्वारा संवेदक के रिस्क व कोस्ट पर अपने स्तर पर धुलाई कराने में

- राशि व्यय की जा सकेगी और वह राशि संवेदक को देय मासिक बिल की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि में से समायोजित कर ली जावेगी।
34. वस्त्र धुलाई एवं प्रेस करने संबंधित कर्मचारियों की उपस्थित ड्यूटी कर्मचारी के पास उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज करवानी होगी। ठेकेदार के पास नियुक्ति से पूर्व वस्त्र धुलाई एवं प्रेस करने वाले कर्मचारियों के निवास /स्थायी पते का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा एवं अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र फोटो सहित उपलब्ध कराना होगा। बिना पहचान पत्र विमंदित गृह में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
35. संस्था के प्रभारी द्वारा निरीक्षण के समय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर 500 रु की कटौती भी की जावेगी।
36. संवेदक/फर्म केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं उनके उपक्रमों द्वारा ब्लैक लिस्टेंड नहीं होनी चाहिये। उपरोक्त वस्त्र धुलाई कार्य संबंधी शर्तें, मैने/हमने पढ़ ली हैं, और यह शर्तें मुझे/हमें स्वीकार्य हैं।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

राजस्थान सरकार

परिशिष्ट "अ"

घोषणा पत्र

मैं/ हम यह घोषणा करते हैं कि मैं/ हम धुलाई संबंधी कार्य करते हैं। हमने निविदा शर्तों के विरुद्ध कोई शर्तें नहीं लगाई हैं अगर कहीं अंकित कर दी गई है तो वह वापसी ली हुई मानी जाती हैं/ मानी जावेगी।

यह है कि यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा। और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई है तो उसे निरस्त कर अमानत राशि (सिक्यूरिटी) जब्त कर सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पता